बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक ..../ पटना, दिनांक..................................

संचिका सं०– 03/उ०नि०/प्रशिक्षण (CFTI)–02–10/2018

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक),
बिहार, पटना।

द्वारा :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2018–19 में कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान (सी०एफ०टी०आई०), आगरा (उ०प्र०) द्वारा राज्य के 400 (चार सौ) बेरोजगार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति युवकों/युवतियों को विभिन्न ट्रेडों में 06–02 माह का आवासीय प्रशिक्षण देने हेतु कुल अनुमानित व्यय ₹1,77,00,000.00 (एक करोड़ सतहतर लाख रूपये) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश :– स्वीकृत।

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018–19 में कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान (सी०एफ०टी०आई०), आगरा (उ०प्र०) द्वारा राज्य के 400 (चार सौ) बेरोजगार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति युवकों/युवतियों को विभिन्न ट्रेडों में 06–02 माह का आवासीय प्रशिक्षण देने हेतु कुल अनुमानित व्यय ₹1,77,00,000.00 (एक करोड़ सतहतर लाख रूपये) मात्र की स्वीकृति प्रदान की है।

(2) उक्त स्वीकृत राशि का व्यय सी०एफ०टी०आई०, आगरा (उ०प्र०) के पत्र सं०–CFTI/TRG/5/Bihar/2018-19/1229 दिनांक–19.11.2018 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के अनुरूप किया जाएगा।

(3) प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान संस्थान को **BSDM** श्रम संसाधन विभाग की अधिसूचना संख्या 463 दिनांक 30.06.2017 द्वारा निर्गत दिशा–निदेश के आलोक में किया जाएगा।

(4) आवासन हेतु संस्थान को **BSDM** के दर 200 रूपया प्रतिदिन प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर से भुगतान किया जाएगा।

(5) प्रशिक्षण अवधि प्रतिदिन न्यूनतम छः घंटा से कम नहीं रहेगा।

(6) संस्थान को थर्ड पार्टी एसेसमेंट **BSDM** के अधिकृत एजेंसी से कराना होगा।

(7) उक्त योजना अन्तर्गत कुल प्रशिक्षणार्थियों की संख्या का कम से कम 70-75% का नियोजन/स्वनियोजन, **CFTI,** आगरा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। नियोजित व्यक्तियों को एक साल ट्रेकिंग किया जाएगा तथा प्रतिवेदन **BSDM** के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

(8) प्रशिक्षण हेतु राशि की स्वीकृति **BSDM** के पत्रांक–986 दिनांक–30.11.2017 द्वारा निर्धारित कास्ट कटैगरी के अनुसार की जाएगी। प्रशिक्षण संस्थान द्वारा चिन्हित ट्रेड में **BSDM** के अनुसार कास्ट कटैगरी के अनुरूप में किया जाएगा।

(9) उक्त संस्थान द्वारा मोरातालाब,नालंदा एवं मुजफ्फरपुर लेदर कलस्टर में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। उक्त दोनों केन्द्रों तथा कोर्स का अनुमोदन **BSDM** से कराना अनिवार्य होगा।

क्रमशः पृष्ट–02 पर...

(10) राशि का व्यय वहन निम्नरूपेण किया जाएगा :–

क्र0सं0	बजट शीर्ष का नाम	स्वीकृ
i.	मुख्य शीर्ष 2852– उद्योग, उप मुख्यशीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष 0102– इन्टरप्रेनियोर्स डेवलपमेन्ट योजना की स्थापना, मांग सं0–23 विपत्र कोड 23–2852807890102, के विषय शीर्ष–0102.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन मद में उपबंधित	₹1,76,1 0
ii.	मुख्य शीर्ष 2852– उद्योग, उप मुख्यशीर्ष–08–उपभोगता उद्योग, लघु शीर्ष–796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष 0101–आर्थिक सहायता, मांग सं0–23 विपत्र कोड 23–2852087960101 के विषय शीर्ष–0101.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन मद में उपबंधित	₹88,50
	कुल राशि :–	₹17700000.(

(एक करोड़ सतहतर लाख) मात्र

(11) स्वीकृत राशि कि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, पटना होगें, जो नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से राशि निकासी BTC फार्म 46 पर कर उद्योग मित्र इंदिरा भवन पटना के P.L.A-277 में उपलब्ध ... जो समय–समय पर उद्योग निदेशक द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में संबंधित संस्थान केन्... पादुका प्रशिक्षण संस्थान (सी0एफ0टी0आई0), आगरा (उ0प्र0) को भुगतान किया जाएगा।

(12) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, इंदिरा भवन, पटना उक्त का... का क्रियान्वयन/नोडल पदाधिकारी होगे। जिनके द्वारा केन्द्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान ...एफ0 टी0आई0), आगरा (उ0प्र0) से MOU किया जाएगा।

(13) स्वीकृत राशि में से 30 प्रतिशत राशि का व्यय जेंडर बजट में की जाएगी।

(i) प्रशिक्षण शुल्क का 30 प्रतिशत भुगतान– एक तिहाई प्रशिक्षण अवधि अथवा प्रशिक्षण ... हो जाने के एक माह बाद एवं अच्छादित अवधि में 80 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर भुगते

(ii) प्रशिक्षण शुल्क का 50 प्रतिशत भुगतान–प्रशिक्षण समाप्त होने एवं अधिकृत एजेंसी से ...समेंट उत्तीर्ण आवेदको के आधार पर भुगतेय।

(iii) प्रशिक्षण शुल्क का 10 प्रतिशत भुगतान–50प्रतिशत नियोजन/स्वनियोजन के बाद भुग

(iv) प्रशिक्षण शुल्क का 10 प्रतिशत भुगतान–12 माह तक नियोजितो के ट्रेकिंग के बाद भु...।

(14) इस योजना के मुख्य नियंत्री एवं पर्यवेक्षण पदाधिकारी उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होगें। वे इस योजना का अनुश्रवण करेंगें।

(15) स्वीकृत राशि निर्धारित योजना अधिसीमा के अन्तर्गत है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विपत्र में निश्चित रूप से विपत्र कोड अंकित करेगें।

(16) प्रस्ताव पर प्रधान सचिव उद्योग विभाग का अनुमोदन संचिका सं0सं0–03/उ0नि0/ ...शिक्षण (CFTI)–02–10/2018 के पृष्ठ 02/टि0 पर दिनांक–07.12.2018 को प्राप्त है। ...सका गै0स0प्रे0सं0–3158/IDC दिनांक–07.12.2018 हैं।

(17) राज्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं0सं0–03/उ0नि0/ ...शिक्षण (CFTI)–02–10/2018 के पृष्ठ 05/टि0 पर दिनांक–26.12.2018 को प्राप्त है। जिसका डायरी सं0–60 दिनांक–26.12.2018. है।

क्रमशः पृ 03 पर...

(18) राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक–8003 वि0 (2) दिनांक–18.09.2008 में निहित पत्रांक–2561 वि0 (2) दिनांक–17.04.1998 की कंडिका– 2 एवं 15 एवं पत्रांक–2938 वि0 (2) दिनांक–08.04.08 के आलोक में किया जायेगा, तथा इन प्रपत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(19) वित्त विभागीय पत्रांक–7355 / वि(2) दि0–05.10.2007 के आलोक में स्वीकृत राशि के निकासी में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन
ह0/–

अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक ..../
पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक ..../
पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, पटना को दो प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक ..../
पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– केन्द्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान (सी0एफ0टी0आई0), आगरा (उ0प्र0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4780 /
पटना, दिनांक 28.12.18

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग/मिशन निदेशक **BSDM** पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/आय–व्यय पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/ उप उद्योग निदेशक, (योजना) उद्योग विभाग बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, इंदिरा भवन, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01 (स0), (बजट), उद्योग विभाग, बिहार, पटना को एवं प्रशाखा–03, उद्योग निदेशालय/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।